संख्याः– 2493 /VI(1)/2011–02(06)2011

(111)

प्रेषक,

एस0एस0 संधू
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 20 अक्टूबर, 2011

विषयः–वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुपूरक अनुदान से प्राप्त आजनेत्तर पक्ष में अवचनबद्ध मदों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–584/XXVII(1)/2011, दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुपूरक मांग द्वारा प्राप्त आयोजनेत्तर पक्ष में अधिष्ठान तथा राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान हेतु व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान की मद में निम्न विवरणानुसार स्तम्भ–3 एवं 4 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की स्तम्भ–2 उल्लिखित मानक मदों में शीर्षकवार कुल ₹ 8.50 लाख **(₹ आठ लाख पचार हजार मात्र)** की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख ₹ में)

क0 सं0	अनुदान संख्या–26 लेखार्शीषक 3452	लेखाशीर्षकवार अवमुक्त की जा रही धनराशि		कुल अवमुक्त
		3452–पर्यटन–80–सामान्य–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–03 अधिष्ठान–00–01 वेतन	3452–पर्यटन–80–सामान्य–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–18–राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान–16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओ के लिए भुगतान	
1	2	3	4	5
1	01–वेतन	3.50	-	3.50
2	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	-	5.00	5.00
	योग :–	3.50	5.00	8.50

2– वितरण अधिकारी के द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3– उपरोक्त से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–1129/VI(1)/2011–2(06)/2011, दिनांक 13 अप्रैल, 2011 एवं शासनादेश संख्या–1753/VI(1)/2011–2(06)/2011, दिनांक 12 अगस्त, 2011में उल्लिखित सभी शर्ते यथावत रहेंगी।

4– यहा यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

..2

(A)

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3452–पर्यटन–80–सामान्य–आयोजनेत्तर में उपरिउल्लिखित तालिका के स्तम्भ–02 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–584/XXVII(1)/2011, दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0एस0 संधू)
सचिव।

संख्याः– 2193 /VI(1)/2011–02(06)2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष।
7– वित्त अनुभाग–2. उत्तराखण्ड शासन।
8– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।